न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 51/2009

श्री भैरूलाल पुत्र श्री हरजी जाति माली निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री रणजीत पुत्र श्री रघुनाथ
2. श्रीमति प्रेम पत्नी श्री रणजीत
   समस्त जाति बागरिया निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

अन्तर्गत नियम 14(4) सपठित नियम 20(2)
राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–
1. श्री शशि प्रकाश इन्दोरिया वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3 श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील ।

–: आदेश :–

दिनांक 17.03.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 25.06.2002 को ग्राम कल्याणपुरा में आयोजित राजस्व शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री रणजीत पुत्र श्री रूधनाथ व श्रीमति प्रेम पत्नी श्री रणजीत जाति बागरिया निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम कल्याणपुरा के आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 111 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हुए विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत किया गयाहै। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा रेस्पोन्डेन्टस के नाम नोटिस जारी किए गये। रेस्पोन्डेन्टस जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तू जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 111 कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा पर प्रार्थी व उसके परिवार का पिछले 30 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है जो खसरा गिरदावरी संवत् 2044 से 2047,2050,2053,2054 व 2056 से 2058 के अवलोकन से स्पष्ट है। उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्व कैम्प में दिनांक 25.06.2002 को तहसीलदार सरवाड द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(44) राजस्व/2001/22 दिनांक 06.012.2001 व पूर्व पत्रांक पं. 6(7)राज/4/77/15 दिनांक 16.12.2001 के द्वारा सिवायचक/गैरमुमकिन भूमियों पर कृषि प्रयोजनार्थ किए गये अतिक्रमणशुदा भूमि को नियमन हेतु आवंटन समिति के समक्ष विवादित भूमि को प्रार्थी के पक्ष में नियमन करने हेतु सिफारिश की गई थी किन्तू आवंटन कमेटी द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर विधि विरूद्व विवादित भूमि का आवंटन रेस्पोन्डेन्टस के पक्ष में कर दिया है जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा न तो मौका निरीक्षण किया गया न ही राजस्व रेकार्ड की जांच ही की गई जबकि प्रार्थी पुराने कब्जे काश्त के आधार पर विधिक प्रावधानों के तहत विवादित भूमि के नियमन का हकदार था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा नही उनके द्वारा आवंटन पश्चात कभी भी विवादित भूमि पर कृषि कार्य किया गया है जबकि प्रार्थी का विवादित भूमि पर पिछले 30 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आज भी उन्ही के कब्जे काश्त में है। वकील प्रार्थी का यह भी कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भू–आवंटन नियमों की अनुपालना किये बिना रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को अनुचित लाभ पहुचाने के उद्देश्य से उनके पक्ष में बिना किसी विधिक आधार के विवादित भूमि का आवंटन कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि विवादित खसरा नम्बर कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि का नियमन प्रार्थी के पक्ष में किया गया तथा शेष 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि का अन्य भूमियों के साथ बिना विधिक अधिकारों के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया है जो नियम विरूद्व है। रेस्पोन्डेन्टस न तो ग्राम कल्याणपुरा में रहते है न ही वहां निवास कर रहे है वे मूलतः ग्राम गोपालपुरा के निवासी है तथा उक्त ग्राम में ही निवास करते है उनका विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

Scanned by CamScanner

स्वीकार किया जाकर रेस्पोन्डेन्टस के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमि पर प्रार्थी को खातेदारी अधिकार दिये जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्टस का कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक रूप से पूर्ण जांच पश्चात आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर उनका 30 वर्ष पुराना कब्जा काश्त होना जाहिर होता हो। उनका कथन है कि राजस्व कैम्प दिनांक 25.06.2002 को विवादित खसरा नम्बर 111 में दोनो ही पक्षकारों को भूमि का आवंटन किया गया है। उनका कथन है कि रेस्पोन्डेन्टस अनुसूचति जाति के भूमिहीन कृषक है तथा परिवार में कुल सात सदस्य है जिनका जीविकोपार्जन विवादित भूमि पर ही निर्भर है यदि आवंटन निरस्त किया जाता है तो परिवार के भरणपोषण की समस्या उत्पन्न होगी। वकील रेस्पोन्डेन्टस ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के आवंटन कि लगभग 6 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि नियमानुसार प्रार्थी को राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अर्न्तगत अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा काश्त है, यदि यह मान भी लिया जावे तो भी इस आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अपने कथन कि समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2009(1) पेज 453 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि रेस्पोन्डेन्टस के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन वर्ष 2002 में हुआ था तथा दिनांक 25.01.2003 को उन्हें विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.D. 1988 पेज 689, R.R.D. 1987 पेज 496, R.R.D. 1987 पेज 359 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल कपट पूर्वक तथ्यों को छिपा कर करवाया गया हो अथवा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हो जैसा कि R.R.D. 2010 पेज 78, व R.R.D. 1980 पेज 661 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किए है। इस प्रकरण में न तो प्रार्थी ने ऐसे किसी तथ्यों का उल्लेख किया है तथा न ही रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर हुए है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर रेस्पोन्डेन्टस के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावें।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्टस के पक्ष में नियमों के अन्तर्गत पूर्ण जांच पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन किया गया

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

है। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो कि आवंटियों द्वारा तथ्यों को छिपाकर छल कपटपूर्वक आवंटन करवाया हो अथवा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया हो। हम वकील रेस्पोन्डेन्टस के इन कथनों से सहमत है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 का कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा है जिसमें से 8 बीघा भूमि का प्रार्थी के स्वयं के पक्ष में नियमन किया गया है इसके बावजूद उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र केवल रेस्पोन्डेन्टस को परेशान करने एवं उनकी भूमि हडपने की नीयत से प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप प्राथना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक **17.03.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, अजमेर
अजमेर

Scanned by CamScanner